

नोडल अधिकारी / समन्वयक / पर्यवेक्षक / केन्द्राध्यक्ष / वीक्षकों द्वारा दिया जाने

वाला घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा का नाम वर्षकी परीक्षा में न तो स्वयं और न ही मेरा कोई निकट संबंधी (पत्नी/पति/पुत्र/भाई/बहन/पत्नी या पति का भाई/बहन/बहू/दामाद) सम्मिलित हो रहा/रही है।
2. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा कोई संबंधी व्यापम कार्यालय में कार्यरत नहीं है।
3. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि परीक्षा संबंधित जो भी गोपनीय कार्य सौंपा जायेगा उसे मैं निष्ठा, ईमानदारी एवं परिश्रम के साथ सम्पन्न करूँगा/करूँगी तथा उसकी गोपनीयता किसी भी प्रकार से भंग नहीं करूँगा/करूँगी।
4. यदि इस घोषणा पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय असत्य पायी जावे तो व्यापम को मेरा पारिश्रमिक निरस्त करने का अधिकार होगा और मेरे विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिए व्यापम स्वतंत्र होगा।
5. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने व्यापम द्वारा प्रसारित निर्देश एवं चेक लिस्ट का भलीभाँति अध्ययन कर लिया है। तदनुसार मैं अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ सम्पादित करूँगा एवं किसी भी तरह की चूक के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।
6. परीक्षा में किसी भी तरह की त्रुटि या आबंछित गतिविधियां में लिप्त पाए जाने पर मुझ पर छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 17.03.2009 में प्रकाशित CHHATTISGARH PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 2008 के अर्न्तगत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का पता